न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री हुक्मीचन्द रोहलानिया, (RAS)

राजस्व वाद संख्या :– 42/2023 GCMS 2023/84

वादीया :–

1. श्रीमती तारा देवी पत्नी रामेश्वरलाल जाति जाट उम्र 48 वर्ष निवासी सीकर रोड़, कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान ।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. सुनिता देवी पत्नी सुरेश कुमार जाति अग्रवाल निवासी सीकर रोड, कुचामनसिटी
2. मनोज कुमार पुत्र सांवरमल जाति कुमावत निवासी जवाहर स्कूल के सामने, कुचामनसिटी
3. मालुराम पुत्र मुनाराम जाति कुमावत निवासी टोरड़ा तहसील कुचामनसिटी
4. भूराराम पुत्र पूसाराम जाति जाट निवासी टोरड़ा तहसील कुचामनसिटी
5. **मुरारदान पुत्र बालदान के फौत होन पर उसके विधिक वारिसान :–**
   5/1–सहदेव पुत्र स्व. मुरारदान जाति चारण निवासी जसराना तहसील कुचामनसिटी
   5/2–हरिसिंह पुत्र स्व. मुरारदान जाति चारण निवासी जसराना तहसील कुचामनसिटी
   5/3–दीपेन्द्रसिंह पुत्र स्व. मुरारदान जाति चारण निवासी जसराना तहसील कुचामनसिटी
   5/4–प्रकाश कंवर पुत्री स्व. मुरारदान जाति चारण निवासी जसराना तहसील कुचामनसिटी
   5/5–उजास कंवर स्व. मुरारदान जाति चारण निवासी जसराना तहसील कुचामनसिटी
6. मोहनसिंह पुत्र गिरवरदान जाति चारण निवासी जसराना तहसील कुचामनसिटी
7. गोविन्द दान पुत्र गिरवरदान जाति चारण निवासी जसराना तहसील कुचामनसिटी
8. राजकुमार पुत्र सवाईदान जाति चारण निवासी जसराना तहसील कुचामनसिटी
9. सन्तोष कंवर पत्नी गिरवरदान जाति चारण निवासी जसराना(फौत) विधिक वारिसान पक्षकार वाद है।
10. **जेठूदान पुत्र माधोदान के फौत होने पर विधिक बारिसान :–**
    10/1–रघुवीर सिंह पुत्र स्व. जेठूदान जाति चारण निवासी जसराना तहसील कुचामनसिटी
    10/2–भंवर कंवर पत्नी स्व. जेठूदान जाति चारण निवासी जसराना तहसील कुचामनसिटी
    10/3–संतोष कंवर पुत्री स्व. जेठूदान जाति चारण निवासी जसराना तहसील कुचामनसिटी
    10/4–जतन कंवर पुत्री स्व. जेठूदान जाति चारण निवासी जसराना तहसील कुचामनसिटी
11. विजेन्द्रसिंह पुत्र स्व. रामप्रतापदान जाति चारण निवासी जसराना तहसील कुचामनसिटी
12. सुरेन्द्रसिंह पुत्र स्व. रामप्रतापदान जाति चारण निवासी जसराना तहसील कुचामनसिटी
13. राजेन्द्रसिंह पुत्र स्व. रामप्रतापदान जाति चारण निवासी जसराना तहसील कुचामनसिटी
14. चांद कंवर पुत्री स्व. रामप्रतापदान जाति चारण निवासी जसराना तहसील कुचामनसिटी
15. किरण कंवर पुत्री स्व. रामप्रतापदान जाति चारण निवासी जसराना तहसील कुचामनसिटी
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी (तरमीम होल्डर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.09.09 16:17:56 IST
Reason: SelfAttested

दावा– बंटवार होल्डिंग व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 R.T.Act 1955

उपस्थित :– श्री अशोकपुरी अधिवक्ता वादीया की ओर से।

श्री प्रभूराम गुर्जर अधिवक्ता प्रति. 1, 2, 3, 11 से 15 की ओर से।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

निर्णय

दिनॉक :– 15.07.2024

उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ ने बहस कर कथन किया कि वाद पत्र में प्राथमिक डिक्री तहसीलदार कुचामनसिटी ने पत्रांक/भू.अ./2024/1771 दिनॉक 15.07.2024 द्वारा मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनॉक 26.06.2024 को तैयार की गई। जो न्यायालय में प्राप्त होकर शामिल मिसल उपलब्ध है। बहस में वादी के अधिवक्ता ने बताया है कि माफिक बंटवारा स्कीम के अन्तिम डिक्री फरमावें। वकील वादी की बहस पर एवं वाद पत्र के संलग्न दिनांक 25.06.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार कुचामनसिटी से बंटवारा स्कीम मंगवाई गई। नजरी नक्शा निम्न प्रकार से है :–

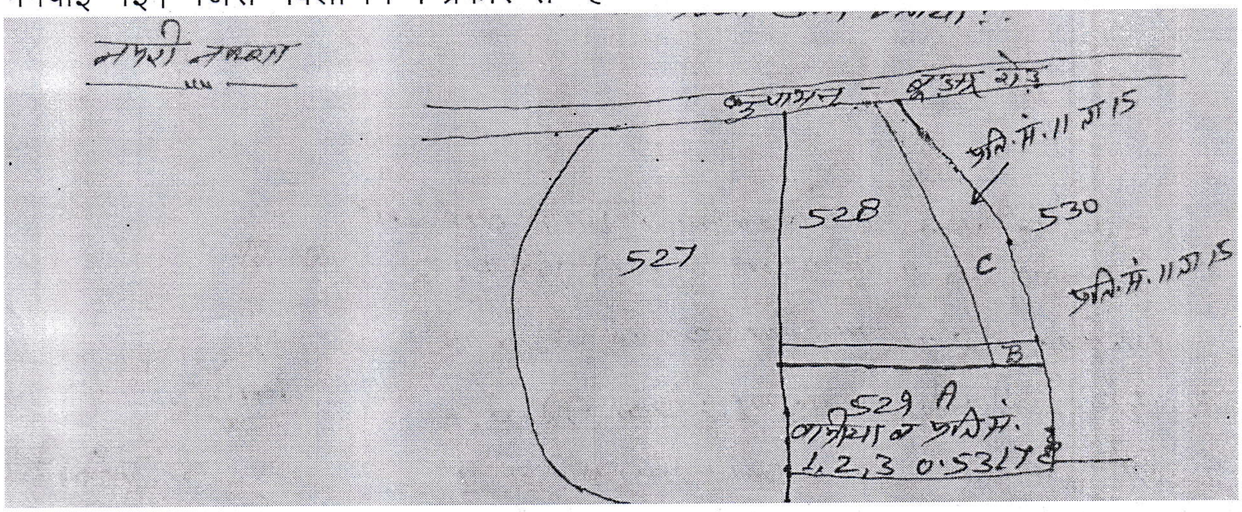

तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम प्रस्तुत कर कथन किया है कि मौके पर उपस्थित पक्षकारान व पड़ौसियो ने उपरोक्त नजरी नक्शा अनुसार वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 2 3 एवं 11 ता 15 का कब्जा काश्त होना बताया है, उपरोक्त नजरी नक्शा अनुसार ग्राम जसराना पटवार मण्डल रूपपुराटोरड़ा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 527 रकबा 1.65 हैक्टर खसरा नम्बर 528 रकबा 0.87 हैक्टर, खसरा नम्बर 529 रकबा 0.67 हैक्टर कुल रकबा 3.19 हैक्टर में खसरा नम्बर 529 रकबा 0.67 हैक्टर में से मार्क A पर वादीया का रकबा 0.1861 हैक्टर, प्रतिवादी सं. 1 सुनिता का रकबा 0.2126 हैक्टर, प्रतिवादी सं. 2 मनोज कुमार का 0.0665 हैक्टर, प्रतिवादी सं. 3 मालूराम का 0.0665 हैक्टर कुल रकबा 0.5317 हैक्टर मार्क बिन्दू A पर संयुक्त रूप से कब्जा काश्त होना बताया। खसरा नम्बर 528 रकबा 0.87 हैक्टर में से 0.24 हैक्टर व खसरा नम्बर 529 मे से 0.0258 हैक्टर (मार्क बिन्दू B व C) कुल रकबा 0.2658 हैक्टर पर प्रतिवादी संख्या 11 ता 15 का कब्जा काश्त होना बताया है तथा उपरोक्तानुसार ही विभाजन करवाना चाहते है । इसी अनुसार नजरी नक्शा मौके पर कायम है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.09.09 15:17:56 IST
Reason: SelfAttested

उभय पक्ष अधिवक्ता वादी की अन्तिम डिक्री हेतु बहस का मनन एवं संलग्न प्राथमिक डिक्री व तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राप्त मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) का अवलोकन करने से न्यायालय का मत है कि खातेदारान/पक्षकारान का वाद काबिल अन्तिम रूप से डिक्री पाया जाने से निम्न प्रकार अन्तिम रूप से डिक्री जारी की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

आदेश

वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम जसराना पटवार मण्डल रूपपुराटोरड़ा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 527 रकबा 1.65 हैक्टर खसरा नम्बर 528 रकबा 0.87 हैक्टर, खसरा नम्बर 529 रकबा 0.67 हैक्टर कुल रकबा 3.19 हैक्टर में खसरा नम्बर 529 रकबा 0.67 हैक्टर में से मार्क A पर वादीया का रकबा 0.1861 हैक्टर, प्रतिवादी सं. 1 सुनिता का रकबा 0.2126 हैक्टर, प्रतिवादी सं. 2 मनोज कुमार का 0.0665 हैक्टर, प्रतिवादी सं. 3 मालूराम का 0.0665 हैक्टर कुल रकबा 0.5317 हैक्टर मार्क बिन्दू A पर संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खसरा नम्बर 528 रकबा 0.87 हैक्टर में से 0.24 हैक्टर व खसरा नम्बर 529 मे से 0.0258 हैक्टर (मार्क बिन्दू B व C) कुल रकबा 0.2658 हैक्टर पर प्रतिवादी संख्या 11 ता 15 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी सं. 11 ता 15 का हक हिस्सा यूको बैंक शाखा कुचामनसिटी के रहन दर्ज रहेगा। शेष खसरान एवं शेष रकबा में से वादीया एवं प्रतिवादी 1, 2, 3, 11 से 15 के नाम हटाया जाते है। शेष रकबा एवं शेष खाता बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनॉक 26.06.2024 निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 15/7/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हुक्मीचन्द रोहलानिया,RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (डीडवाना–कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.09.09 15:17:56 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला–डीडवाना–कुचामन (राज.)

बइजलास : हुक्मीचन्द रोहलानिया,(R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या :– 42/2023 GCMS 2023/84

वादीया :–

1. श्रीमती तारा देवी पत्नी रामेश्वरलाल जाति जाट उम्र 48 वर्ष निवासी सीकर रोड़, कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान ।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. सुनिता देवी पत्नी सुरेश कुमार जाति अग्रवाल निवासी सीकर रोड, कुचामनसिटी
2. मनोज कुमार पुत्र सांवरमल जाति कुमावत निवासी जवाहर स्कूल के सामने, कुचामनसिटी
3. मालुराम पुत्र मुनाराम जाति कुमावत निवासी टोरड़ा तहसील कुचामनसिटी
4. भूराराम पुत्र पूसाराम जाति जाट निवासी टोरड़ा तहसील कुचामनसिटी
5. **मुरारदान पुत्र बालदान के फौत होन पर उसके विधिक वारिसान :–**
   5/1–सहदेव पुत्र स्व. मुरारदान जाति चारण निवासी जसराना तहसील कुचामनसिटी
   5/2–हरिसिंह पुत्र स्व. मुरारदान जाति चारण निवासी जसराना तहसील कुचामनसिटी
   5/3–दीपेन्द्रसिंह पुत्र स्व. मुरारदान जाति चारण निवासी जसराना तहसील कुचामनसिटी
   5/4–प्रकाश कंवर पुत्री स्व. मुरारदान जाति चारण निवासी जसराना तहसील कुचामनसिटी
   5/5–उजास कंवर स्व. मुरारदान जाति चारण निवासी जसराना तहसील कुचामनसिटी
6. मोहनसिंह पुत्र गिरवरदान जाति चारण निवासी जसराना तहसील कुचामनसिटी
7. गोविन्द दान पुत्र गिरवरदान जाति चारण निवासी जसराना तहसील कुचामनसिटी
8. राजकुमार पुत्र सवाईदान जाति चारण निवासी जसराना तहसील कुचामनसिटी
9. सन्तोष कंवर पत्नी गिरवरदान जाति चारण निवासी जसराना(फौत) विधिक वारिसान पक्षकार वाद है।
10. **जेठूदान पुत्र माधोदान के फौत होने पर विधिक वारिसान :–**
    10/1–रघुवीर सिंह पुत्र स्व. जेठूदान जाति चारण निवासी जसराना तहसील कुचामनसिटी
    10/2–भंवर कंवर पत्नी स्व. जेठूदान जाति चारण निवासी जसराना तहसील कुचामनसिटी
    10/3–संतोष कंवर पुत्री स्व. जेठूदान जाति चारण निवासी जसराना तहसील कुचामनसिटी
    10/4–जतन कंवर पुत्री स्व. जेठूदान जाति चारण निवासी जसराना तहसील कुचामनसिटी
11. विजेन्द्रसिंह पुत्र स्व. रामप्रतापदान जाति चारण निवासी जसराना तहसील कुचामनसिटी
12. सुरेन्द्रसिंह पुत्र स्व. रामप्रतापदान जाति चारण निवासी जसराना तहसील कुचामनसिटी
13. राजेन्द्रसिंह पुत्र स्व. रामप्रतापदान जाति चारण निवासी जसराना तहसील कुचामनसिटी
14. चांद कंवर पुत्री स्व. रामप्रतापदान जाति चारण निवासी जसराना तहसील कुचामनसिटी
15. किरण कंवर पुत्री स्व. रामप्रतापदान जाति चारण निवासी जसराना तहसील कुचामनसिटी
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी ([illegible] हाल)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.09.09 15:17:56 IST
Reason: SelfAttested

दावा– बंटवार होल्डिंग व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 [illegible] R.T.Act 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल [illegible] रू-बरू वकील श्री अशोकपुरी अधिवक्ता हाजिरी............ मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री प्रभूराम गुर्जर अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम जसराना पटवार मण्डल रूपपुराटोरड़ा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 527 रकबा 1.65 हैक्टर खसरा नम्बर 528 रकबा 0.87 हैक्टर, खसरा नम्बर 529 रकबा 0.67 हैक्टर कुल रकबा 3.19 हैक्टर में खसरा नम्बर 529 रकबा 0.67 हैक्टर में से मार्क A पर वादीया का रकबा 0.1861 हैक्टर, प्रतिवादी सं. 1 सुनिता का रकबा 0.2126 हैक्टर, प्रतिवादी सं. 2 मनोज कुमार का 0.0665 हैक्टर, प्रतिवादी सं. 3 मालूराम का 0.0665 हैक्टर कुल रकबा 0.5317 हैक्टर मार्क बिन्दू A पर**

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खसरा नम्बर 528 रकबा 0.87 हैक्टर में से 0.24 हैक्टर व खसरा नम्बर 529 मे से 0.0258 हैक्टर (मार्क बिन्दू B व C) कुल रकबा 0.2658 हैक्टर पर प्रतिवादी संख्या 11 ता 15 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी सं. 11 ता 15 का हक हिस्सा यूको बैंक शाखा कुचामनसिटी के रंहन दर्ज रहेगा। शेष खसरान एवं शेष रकबा में से वादीया एवं प्रतिवादी 1, 2, 3, 11 से 15 के नाम हटाया जाते है। शेष रकबा एवं शेष खाता बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनॉक 26.06.2024 निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निज .... मुबलिग .... बाबत.................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद भारह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 15 माह 07 सन् 2024 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.09.09 15:17:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला (डीडवाना–कुचामन) राज.

क्रमांक/कोर्ट/2024/ 159 दिनॉकः– 16-07.2024

प्रेषित :– 1. तहसीलदार, कुचामनसिटी

विषय :– राजस्व वाद सं. 42/2023 **GCMS 2023/84** तारादेवी बनाम सुनिता देवी वगैरह में पारित अन्तिम डिक्री आदेश की पालना बाबत।

–x– x–x–x –

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय के राजस्व वाद सं. 42/2023 **GCMS 2023/84** तारादेवी बनाम सुनिता देवी वगैरह में पारित अन्तिम डिक्री आदेश की पालना बाबत प्रति भिजवाई जा रही है। राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करते हुए नक्शे में तरमीम कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

सलंग्नः–उपरोक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना–कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.09.09 15:17:56 IST
Reason: SelfAttested